झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

विषयः— जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा दिये गए विभागीय निदेशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में ।

जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा है कि विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार एवं विभागीय निदेशों की अनदेखी की जाती है एवं ससमय अनुपालन नहीं किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विभाग को कई बार शर्मिंदगी की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जो कदापि स्वीकार्य नहीं है ।

2. उल्लेखनीय है कि विभिन्न प्रकृति के निम्न वर्णित मामले क्षेत्रीय कार्यालयों के लापरवाह, अनुशासनहीन एवं स्वेच्छापूर्ण रवैये के फलस्वरूप लम्बित हैं, जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है :

क्र०	विषय	लम्बित मामले
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय संबंधी	87
2	सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन संबंधी	140
3	महालेखाकार के द्वारा वर्णित अंकेक्षण आपत्ति संबंधी मामले	816
4	विभागीय कार्यवाही संबंधी	155
5	सेवा सम्पुष्टि संबंधी	606
6	गोपनीय चारित्री के मामले	126

3. **उपरोक्त क्रम में सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1) एवं 3 (2) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नवत् है :–**

3. (1) सामान्य– हर सरकारी सेवक सदा—

(i) पूरी शीलनिष्ठा रखेगा,

(ii) कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा, और

(iii) ऐसा कोई काम न करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो ।

(2) हर सरकारी सेवक, जो पर्यवेक्षी पद पर हो, इसके लिए सभी सम्भव प्रयास करेगा कि तत्समय उसके नियंत्रण और प्राधिकार के अधीन स्थित सभी सरकारी सेवक शीलनिष्ठा और कर्त्तव्यनिष्ठा बनाए रखें।

4. स्पष्ट है कि विभाग अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्त्तव्यपरायण एवं अनुशासित किये जाने की आवश्यकता है तथा जो पदाधिकारी अपने आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं लाते हैं, उनके विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही एवं दण्डादेश पारित किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे प्रमादी (Defaulter) पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के आचरण में सुधार लाया जा सके ।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :–

5.1 समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रधान से यह अपेक्षा की जाती है कि समय–समय पर विभाग के द्वारा निर्गत निदेशों का, वर्णित समय–सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करें ।

यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने में किसी प्रकार की कठिनाई है तो ऐसी कठिनाई दर्शाते हुए औचित्य के साथ समय की मांग करें एवं विभाग द्वारा विस्तारित समयावधि के भीतर उक्त निदेश का हर हालत में अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

5.2 यदि किसी क्षेत्रीय कार्यालय प्रधान के द्वारा उपरोक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो विभाग के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा, जिसके आधार पर समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

5.3 यदि किसी पदाधिकारी से उपर्युक्त कंडिका–5.2 के क्रम में प्राप्त तीन स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाते हैं तो ऐसे पदाधिकारी को कारण–पृच्छा करते हुए **"चेतावनी"** (Censure) निर्गत की जाएगी ।

5.4 यदि किसी पदाधिकारी के विरुद्ध उपर्युक्त कंडिका–5.3 के क्रम में तीन **"चेतावनी"** निर्गत करने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे पदाधिकारी को कारण–पृच्छा करते हुए उनकी वार्षिक वेतनवृद्धि पर संचयात्मक/असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में विभाग के द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

5.5 यदि किसी पदाधिकारी के विरुद्ध उपरोक्त कण्डिका–5.4 के क्रम में तीन बार पृथक्–पृथक् दण्डादेश पारित किया जाता है तो ऐसे पदाधिकारी को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध वृहद् दण्ड हेतु नियमानुसार विभागीय कार्यवाही संचालित की जाएगी ।

6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में यह अपेक्षा है कि विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित कार्यालय प्रधानों, उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के अनुरूप अपना आचरण सुनिश्चित किया जाएगा तथा राज्य सरकार एवं विभागीय निदेशों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि विभाग के किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डादेश पारित करने की स्थिति उत्पन्न न हो ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

30.11.18

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 5177 दिनांकः– 04/12/18

प्रतिलिपि–विशेष सचिव/अभियन्ता प्रमुख–1/अभियन्ता प्रमुख–2/मुख्य अभियन्ता (मो0)/विभाग के सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/उप सचिव (अभि0)/उप सचिव(प्र0)/विभाग के सभी अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

30.11.18

(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव